

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.18(2)गृह-1/2016

जयपुर, दिनांक 10. JUN 2016

आदेश

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62 (2) के अन्तर्गत जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समितियों के अध्यक्ष एवं स्वतंत्र सदस्यों को देय-मानदेय एवं अन्य सुविधाएं निम्नानुसार देय होगी :-

S.No.	Facility	Member	Remark
1	Honorarium/Sitting fee	Rs. 1000/-	Only for the day of meeting
2	Travel Expenses	By Train, IInd Class/Deluxe Bus RSRTC	-----
3	Local Transport	Rs. 500/-	Department will provide local transport and in absence of this facility only local transport allowance will be admissible only for the day of meeting
4	Hotel Charges	Local Circuit House. If not available RTDC Hotels.	Only for the day of meeting
5	Food	Rs. 250/-	Only for the day of meetings

यह आदेश वित्त (नियम) विभाग की आईडी संख्या 101602174 दिनांक 02.06.2016 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

आज्ञा से,




(पवन कुमार जैन)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, मा. गृहमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव गृह/शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
6. अध्यक्ष एवं स्वतंत्र सदस्य, जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समितियाँ।
7. रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस